दूरभाष: 0522–2838108

कार्यालय
राज्य स्वच्छ गंगा मिशन–उत्तर प्रदेश
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0

प्लाट नं0–18, सेक्टर–7, गोमती नगर विस्तार योजना, लखनऊ।

Website http:// www.smcg-up.org /E-mail: apd@smcg-up.org

पत्र संख्या– 917/7604/ SMCG-UP/02 दिनांक : 10/08/2023

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला गंगा समिति,
समस्त जनपद–उ0प्र0।

विषय :– आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत "हर घर हर घाट तिरंगा" अभियान के संबंध में।

महोदय,

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली तथा उप सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 727/76–3–2023–32 एनजी/2022 दिनांक 09.08.2023 (छायाप्रति संलग्न) के कम में 03 दिवसीय (दिनांक 13.08.2023 से 15.08.203) आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत "हर घर हर घाट तिरंगा" अभियान चलाया जाना है।

राज्य स्वच्छ गंगा मिशन–उ0प्र0 द्वारा "हर घर हर घाट तिरंगा" अभियान को सफल बनाने हेतु निम्नवत् सुझाव दिये जाते है:–

क्र0 सं0	दिनांक	गतिविधियाँ
1	13.08.2023	रंगोली प्रतियोगिता, घाट पर हाट, नुक्कड़ नाटक, पब्लिक मीटिंग।
2	14.08.2023	स्वच्छता अभियान एवं श्रम दान, गंगा शपथ एवं सिग्नेचर कैम्पेन
3	15.08.2023	झंडा रोहण, गंगा स्वच्छता संदेश रैली एवं तिरंगा पद यात्रा, जो कि घाट से शुरू होकर घाट पर ही समाप्त की जानी है। कम से कम 100 प्रतिभागी द्वारा प्रतिभाग किया जाना है।

उपरोक्तानुसार गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के प्रति लोगों में जन–जागरूकता बढ़ाने हेतु सफलतापूर्वक अभियान का संचालन कराया जाना है। अभियान के दौरान एन0 एम0 सी0 जी0/एस0एम0सी0जी0 द्वारा उपलब्ध कराये गये बैनर व होर्डिंग्स के डिजाइन अनिवार्य रूप से प्रयोग किये जायेंगे। उक्त कार्यकम हेतु प्रति डी0जी0सी0 अनुमोदित धनराशि का विवरण संलग्न कर प्रेषित है। अनुमोदित धनराशि के अनुसार अभियान हेतु गतिविधियों के आयोजन का चयन किया जा सकता है, अभियान में होने वाले व्यय का भुगतान टी0एस0ए0 प्रणाली से किया जायेगा।

"हर घर हर घाट तिरंगा" अभियान के सफल आयोजन हेतु जनपदों में कार्यरत गंगा प्रहरी, गंगा दूत, गंगा टास्क फोर्स, गंगा मित्र व अन्य हितधारकों तथा गैर सरकारी संस्थाओं को सम्मिलित किया जाना है। उक्त अभियान की हाई–रिज़ॉल्यूशन फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी सहित विस्तृत रिपोर्ट एस0एम0सी0जी0 को दिनांक 17.08.2023 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार "हर घर हर घाट तिरंगा" अभियान का सफल आयोजन कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

10-08-23

(डॉ0 बलकार सिंह)
सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग/ परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन–उ0प्र0।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/ नोडल अधिकारी, नमामि गंगे कार्यक्रम, उ0प्र0।
3. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति, उ0प्र0।

सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग/ परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन–उ0प्र0।

हर घर हर घाट तिरंगा अभियान हेतु अनुमोदित बजट :–

क्र0 सं0	डी0जी0सी0 (ए–केटेगरी)	बजट	क्र0 सं0	डी0जी0सी0 (बी–केटेगरी)	बजट	क्र0 सं0	डी0जी0सी0 (सी–केटेगरी)	बजट
1	बलिया	100000	30	सहारनपुर	50000	47	औरैया	25000
2	भदोही	100000	31	अलीगढ़	50000	48	जालौन	25000
3	बिजनौर	100000	32	इटावा	50000	49	शामली	25000
4	बुलन्दशहर	100000	33	मुजफ्फरनगर	50000	50	बहराइच	25000
5	चन्दौली	100000	34	जौनपुर	50000	51	अम्बेडकरनगर	25000
6	फतेहपुर	100000	35	सुल्तानपुर	50000	52	आजमगढ़	25000
7	गाजीपुर	100000	36	बांदा	50000	53	बाराबंकी	25000
8	हापुड़	100000	37	चित्रकूट	50000	54	गोण्डा	25000
9	हरदोई	100000	38	झाँसी	50000	55	पीलीभीत	25000
10	कन्नौज	100000	39	सोनभद्र	50000	56	बस्ती	25000
11	कानपुर नगर	100000	40	अमेठी	50000	57	सीतापुर	25000
12	कौशाम्बी	100000	41	अमरोहा	50000	58	सिद्धार्थनगर	25000
13	मेरठ	100000	42	बदायूं	50000	59	संतकबीर नगर	25000
14	मिर्जापुर	100000	43	फर्रुखाबाद	50000	60	बलरामपुर	25000
15	प्रतापगढ़	100000	44	कासगंज	50000	61	देवरिया	25000
16	प्रयागराज	100000	45	सम्भल	50000	62	रामपुर	25000
17	राय बरेली	100000	46	फिरोजाबाद	50000	63	महोबा	25000
18	शाहजहाँपुर	100000			—	64	हमीरपुर	25000
19	उन्नाव	100000			—	65	महराजगंज	25000
20	वाराणसी	100000			—	66	कुशीनगर	25000
21	लखनऊ	100000			—	67	हाथरस	25000
22	गोरखपुर	100000			—	68	बागपत	25000
23	अयोध्या	100000			—	69	एटा	25000
24	मथुरा–वृन्दावन	100000			—	70	श्रावस्ती	25000
25	आगरा	100000			—	71	मऊ	25000
26	मुरादाबाद	100000			—	72	ललितपुर	25000
27	बरेली	100000			—	73	मैनपुरी	25000
28	गाजियाबाद	100000			—	74	कानपुर देहात	25000
29	गौतमबुद्धनगर	100000			—	75	लखीमपुर खीरी	25000
	कुल योग	29,00,000			8,50,000			7,25,000

Gmail shaivya Singh <cleangangaup@gmail.com>

g. Har Ghar-Har Ghat Tiranga-2023 Campaign

message

vya Joshi <divyajoshi.nmcg@gmail.com> Tue, Aug 8, 2023 at 2:04 PM
: spmg bihar <spmgbihar@gmail.com>, spmgngrba.utk01@gmail.com, Sgrca Apd <apd@sgrca.org>, Spmg Ngrba
hspmgngrba@gmail.com>, Program Director <spmg.programdirector@gmail.com>
c: puran kapri <puran.kapri@gmail.com>, SPMG NAMAMI GANGE UTTARAKHAND
communication.spmguk@gmail.com>, shaivya Singh <cleangangaup@gmail.com>, sonalika singh
sonalika26@gmail.com>, co.unit.head@smcg-up.org, anjana bharali <anjana.bharat2022@gmail.com>, Trishanu Raha
wbspmg.comm@gmail.com>, ed-technical@nmcg.nic.in, Mohd Najeeb Ahsan <najeeb_ahsan@yahoo.com>

Dear Sir/ Ma'am,

Unlike last year, the National Mission for Clean Ganga, Ministry of Jal Shakti has planned to organize the second series of the 'Har Ghar-Har Ghat Tiranga' campaign from 13th to 15th August 2023 across the 5 Mainstem Ganga Basin States.

2. All SMCGs are kindly requested to organize the campaign in respective States as per the approved Annual plan.

3. The campaign will be organized by the SMCGs in close association with District Ganga Committees as the nodal agency.

4. Involvement of partner organizations and all volunteer groups including- DPOs, Ganga Vichaar Manch, Ganga Task Force and Ganga Praharis etc. may be ensured in the campaign.

5. SMCGs should ensure submission of campaign report along with high resolution photographs latest by 18th August 2023.

6. The creatives shall be provided shortly by NMCG. However, the creatives as shared last year, may also be used with slight modifications of the year and as per the local relevance.

Thanks & Regards,
Divya Joshi
National Mission for Clean Ganga
Ministry of Jal Shakti
1st Floor, Major Dhyan Chand National Stadium
India Gate, New Delhi-110002

I/365549/2023

<u>आजादी का अमृत महोत्सव</u>

<u>संख्या-727/76-3-2023-32 एनजी/2022</u>

प्रेषक,

महेन्द्र कुमार त्रिपाठी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) प्रबन्ध निदेशक, जल निगम (ग्रामीण), उ0प्र0,लखनऊ।
(2) अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उ0प्र0,लखनऊ।
(3) अपर परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उ0प्र0,लखनऊ।
(4) निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।
(5) मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-3, लखनऊः दिनांक- 09 अगस्त, 2023

विषयः- आजादी अमृत महोत्सव के समापन समारोह के अन्तर्गत 'मेरी माटी, मेरा देश' एवं 'हर घर तिरंगा' 2023 अभियान के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, संस्कृति अनुभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-3471/चार-2023, दिनांक 04-08-2023 की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पत्र में की गयी अपेक्षानुसार दिनांक 13 से 15 अगस्त, 2023 के मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नकः-यथोक्त।</u>

भवदीय,

(महेन्द्र कुमार त्रिपाठी)
त्रिपाठी
उप सचिव।
Date: 09-08-2023 14:13:23
Reason: Approved

<u>संख्या-727(1)/76-3-2023,तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(महेन्द्र कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव।

आजादी का अमृत महोत्सव
संख्या-3471/चार-2023

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 04 अगस्त, 2023

विषयः-आजादी अमृत महोत्सव के समापन समारोह के अन्तर्गत 'मेरी माटी मेरा देश' एवं 'हर घर तिरंगा' 2023 अभियान के सम्बन्ध में।

महोदय,

भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित 'आजादी का अमृत महोत्सव' कार्यक्रम के अन्तर्गत 'मेरी माटी मेरा देश' (09 से 30 अगस्त,2023) एवं हर घर तिरंगा (13 से 15 अगस्त,2023) अभियान ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जन सहभागिता के साथ मनाया जाना है। इस संबंध में 'मेरी माटी मेरा देश' अभियान हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश पूर्व में शासनादेश संख्या-3322/चार-2023 दिनांक 31.07.2023 द्वारा निर्गत किये गये है।

2- विदित है कि 'आजादी का अमृत महोत्सव' के अन्तर्गत स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगाँठ के अवसर पर विगत वर्ष 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 13 से 15 अगस्त, 2022 तक उल्लास एवं गरिमा के साथ प्रदेश के 5.25 करोड़ आवासित घरों/सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों पर तिरंगा फहराते हुए प्रदेश के समस्त जनपदों ने अग्रणी भूमिका का निर्वहन किया था।

3- सचिव, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के पत्र दिनांक 29 जुलाई, 2023 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा गतवर्ष की भांति इस वर्ष भी 13 से 15 अगस्त, 2023 तक उसी उत्साह एवं राष्ट्रीयता की भावना से हर घर तिरंगा अभियान चलाये जाने के निर्देश प्राप्त हुए है। कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के मन में राष्ट्रप्रेम की भावना को जाग्रत करते हुए स्वतंत्रता के प्रतीकों के प्रति सम्मान का भाव उजागर करना है।

4- दिनांक 13 से 15 अगस्त, 2023 के मध्य प्रदेश में "हर घर तिरंगा" कार्यक्रम को सफल बनाये जाने हेतु निम्नवत् कार्यवाही की जानी है:-

i. "हर घर तिरंगा" कार्यक्रम प्रत्येक सरकारी अधिकारी/कर्मचारी, शिक्षकगण, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वयं सहायता समूहों, विभिन्न नागरिक संगठनों आदि के सहयोग से क्रियान्वित किया जाये।

ii. ग्राम पंचायत स्तर पर सम्बन्धित विभाग द्वारा जागरूकता सत्र का आयोजन करते हुए ग्राम प्रधानों को शत-प्रतिशत घरों, दुकानों, कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, आंगनबाड़ी केन्द्रों, राशन की दुकानों, नलकूपों इत्यादि पर झण्डा फहराने हेतु प्रेरित किया जाये। नगरीय एवं पंचायत स्तर पर लोगों को झण्डा क्रय करने एवं कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु प्रेरित किया जाये।

iii. जनपद के समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में झण्डा के वितरण/बिक्री हेतु केन्द्रों को चिन्हित कर जनपद की समस्त सरकारी राशन की दुकानों को झण्डा वितरण एवं बिक्री केन्द्र के रूप में प्रयोग किया जाये। साथ ही जनपद मुख्यालय के मुख्य डाकघरों से भी झण्डा क्रय किया जा सकता है।

(राजेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव,
स्वामी एवं ग्राम्य विकास विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

iv. गत वर्ष की भाँति 20"x 30" आकार के झण्डे का अनुमानित मूल्य 20 से 25 रुपये/प्रति नग होगा। झण्डों का निर्माण झण्डा संहिता में निर्धारित आकार, अनुपात एवं रंग के अनुरूप कराया जाये।

v. जनपद के समस्त सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों, शैक्षणिक संस्थानों, व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, गैर सरकारी संगठनों, रेस्टोरेन्ट, शॉपिंग काम्पलेक्स, टोल प्लाजा, पुलिस चौकी/थाना इत्यादि को इस कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से झण्डा फहराये जाने हेतु निर्देशित किया जाये।

vi. बैनर, पम्पलेट, स्टैण्डी, होर्डिंग्स एवं अन्य उपयुक्त माध्यमों से स्थानीय भाषा एवं बोली में कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये।

vii. परिवहन निगम की समस्त बसों, निजी बसों, ट्रकों एवं अन्य सार्वजनिक परिवहन साधनों तथा सरकारी वाहनों में "मेरी माटी, मेरा देश" के साथ-साथ "हर घर तिरंगा" कार्यक्रम का संदेश भी स्टीकर अथवा अन्य माध्यम से लगाया जाये।

viii. जनपद स्तर से पंचायत स्तर तक विभिन्न स्तरों पर गतवर्ष की भांति नोडल अधिकारीगण के साथ-साथ पर्यवेक्षकों की भी तैनाती प्रत्येक विकास खण्ड एवं ग्राम पंचायतों के स्तर पर की जाये तथा विभिन्न स्तरों पर इसकी नियमित समीक्षा की जाये।

ix. सभी प्राथमिक/माध्यमिक स्कूलों में "पैरेन्ट-टीचर मीटिंग" के माध्यम से कार्यक्रम के सम्बन्ध में भी सभी को जानकारी दी जाये।

x. "हर घर तिरंगा" कार्यक्रम का वृहद स्तर पर प्रचार-प्रसार सूचना विभाग के माध्यम से प्रत्येक जनपद मुख्यालय में L.E.D. VAN द्वारा एवं सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स, केबिल नेटवर्क, स्थानीय सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से फ्लायर, वीडियो अपील, रेडियो जिंगल आदि के द्वारा किया जाये।

xi. "हर घर तिरंगा" कार्यक्रम हेतु जनपद के समस्त सरकारी अधिकारी/कर्मचारियों, शिक्षकों, शिक्षामित्रों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, आँगनबाड़ी कर्मियों, आशा बहुओं आदि को पूर्व की भांति निर्धारित दायित्व दिया जाये तथा उक्त दायित्वों के निर्वहन की जिलाधिकारी स्तर पर नियमित समीक्षा की जाये।

xii. मा० जनप्रतिनिधिगण के साथ भी पृथक से बैठक कर उन्हें कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत जानकारी दे दी जाये।

xiii. समय-समय पर प्रेस व मीडिया के प्रतिनिधियों को कार्यक्रम के व्यापक प्रचार-प्रसार, जन-जन जागरूकता एवं तैयारियों के संबंध में जानकारी भी दी जाये।

xiv. दिनांक 09 से 12 अगस्त, 2023 के मध्य जनपद के समस्त घरों, दुकानों, कार्यालयों, प्रतिष्ठानों, शैक्षणिक संस्थानों एवं अन्य सरकारी एवं गैर सरकारी परिसरों में झण्डों की उपलब्धता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर ली जाये।

xv. गृह विभाग सुनिश्चित करे कि पुलिस विभाग के पब्लिक एड्रेस सिस्टम क्रियाशील रहे, दिनांक 13 अगस्त, 2023 से 15 अगस्त, 2023 के मध्य झण्डा गीत, राष्ट्रीय गीतों के साथ ही साथ हर घर तिरंगा कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचनाओं का प्रसारण होता रहे। दिनांक 13 से 15 अगस्त, 2023 के मध्य गृह विभाग शहीद स्मारकों पर राष्ट्र धुन के साथ पुलिस / पी०ए०सी० बैण्ड का वादन किया जाये।

xvi. समस्त विभागों की वेबसाइट पर "आजादी का अमृत महोत्सव" की वेबसाइट amritmahotsav.nic.in का लिंक डिस्प्ले होता रहे।

xvii. दिनांक 13 से 15 अगस्त, 2023 तक समस्त सरकारी भवनों में तिरंगा लाईटिंग करायी जाये।

xviii. नगर विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग जिलाधिकारीगण से समन्वय करते हुये सुनिश्चित करें कि प्रत्येक आवासित घर में झण्डा फहराया जाये। स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े समस्त स्थलों की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए साईनेज लगवाये जायें।

xix. समस्त शिक्षण संस्थाओं में हर घर तिरंगा से सम्बन्धित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाये। जिला विद्यालय निरीक्षक एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उक्त आयोजन के सम्बन्ध में शासन से निर्गत निर्देशों का प्राईवेट शिक्षण संस्थाओं द्वारा भी पूर्ण रूप से पालन किया जाये।

xx. भाषा विभाग द्वारा लखनऊ से बाहर प्रदेश के अन्य अंचलों में भी आँचलिक भाषा में राष्ट्रीयता से ओत-प्रोत कवि सम्मेलन एवं गोष्ठियों का आयोजन किया जाये।

xxi. प्रदेश के समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी चिकित्सालयों, चिकित्सा महाविद्यालयों, चिकित्सा विश्वविद्यालयों, चिकित्सा संस्थानों एवं उनसे जुड़े छात्रावासों में हर घर तिरंगा कार्यक्रम की कार्ययोजना का पूर्णतया पालन किया जाये।

xxii. ग्राम विकास विभाग/पंचायती राज विभाग/ नगर विकास विभाग सुनिश्चित करें कि शत- प्रतिशत अमृत सरोवरों पर झण्डा फहराया जाये।

xxiii. सेल्फी/रील्स/वीडियो/झण्डे के साथ फ़ोटो अथवा देशभक्ति/झण्डा गीत के साथ वीडियो अभियान से जुड़ी वेबसाइट- merimaatimeradesh.gov.in पर अपलोड करने हेतु आम-जनमानस को प्रेरित किया जाये।

4- योजना का कार्यान्वयन:

(1) कार्यक्रम में "हर घर तिरंगा" कार्यक्रम हेतु केन्द्र सरकार द्वारा झण्डा संहिता में विगत वर्ष संशोधन किया गया है। (संलग्नक-1)

(2) प्रत्येक नोडल का यह दायित्व होगा कि हर घर झण्डा फहराने हेतु नागरिकों को झण्डा फहराने की विधि तथा अन्य जानकारियों से स्पष्ट रूप से अवगत कराया जाये। (संलग्नक-2)

(3) प्रत्येक जनपद को गतवर्ष की भांति हाउस होल्ड के अनुसार झण्डा फहराने का लक्ष्य संलग्न है। (संलग्नक-3)

- उपरोक्त अभियान के प्रभावी समन्वय हेतु जनपदों द्वारा की गई कार्यवाही की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट इस पत्र के साथ संलग्न प्रारूप एवं गूगल फार्म लिंक के माध्यम से https://culturalevents.in/merimaatimeradesh/ दिनांक 05 अगस्त, 2023 तक प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

'मेरी माटी, मेरा देश' एवं 'हर घर तिरंगा' अभियान के सफल कार्यान्वयन हेतु समस्त जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में गत वर्ष की भांति निम्नानुसार समिति गठित की जाती है:-

जिलाधिकारी	अध्यक्ष
पुलिस आयुक्त द्वारा नामित पुलिस उपायुक्त वरिष्ठ पुलिस/ पुलिस अधीक्षक/अधीक्षक	उपाध्यक्ष
मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी/नगर पालिका/नगर पंचायत	सदस्य
मुख्य कार्यपालक अधिकारी, छावनी परिषद	सदस्य
मुख्य चिकित्साधिकारी	सदस्य
जिला विकास अधिकारी	सदस्य
जिला प्रोबेशन अधिकारी	सदस्य

जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
उप निदेशक जिला सूचना अधिकारी	सदस्य
उप निदेशक, पर्यटन अधिकारी/क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी	सदस्य
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी	सदस्य
कार्यक्रम अधिकारी(एकीकृत बाल विकास योजना)	सदस्य
जिला युवा कल्याण अधिकारी	सदस्य
परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण	सदस्य
प्राचार्य, आई0टी0आई0	सदस्य
जिला खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी	सदस्य
महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य
जिला समन्वयक, नेहरू युवा केन्द्र	सदस्य
समन्वयक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	सदस्य
समन्वयक, नागरिक सुरक्षा संगठन	सदस्य
एन0सी0सी0 के अधिकारी/एन0एस0एस0 के समन्वयक	सदस्य
जिलाधिकारी द्वारा नामित उद्योग मण्डलों/व्यापार मण्डलों के प्रतिनिधिगण	सदस्य
जिला पंचायतीराज अधिकारी	सदस्य सचिव

उपरोक्तानुसार गठित समिति के सदस्यों की सूची दृष्टान्त के रूप में है। जिलाधिकारी अपनी सुविधानुसार इसमें सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। विकास खण्ड स्तर पर भी इसी प्रकार से समितियों का गठन करा लिया जाए जिसमें जिला स्तर के एक अधिकारी को नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी दी जाये।

अतएव उपरोक्त निर्देशानुसार प्रत्येक जनपद में व्यापक जनसहभागिता से "मेरी माटी मेरा देश" एवं 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
(हस्ताक्षर) 1/08/23
(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके अर्द्ध शासकीय पत्र दिनांक 29 जुलाई, 2023 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
(हस्ताक्षर)
(उमा द्विवेदी)
संयुक्त सचिव

गोविंद मोहन
सचिव
Govind Mohan
Secretary

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
नई दिल्ली - 110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
NEW DELHI-110 001

प्र०स०, संस्कृति

D.O. No. Misc./Secy(C)/2023 July 29, 2023

29/7/2023
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

Dear Shri Mishra,

'Azadi Ka Amrit Mahotsav (AKAM)' is a flagship initiative of the Government of India, which has been launched to commemorate 75 years of India's independence.

2. Under the aegis of AKAM, 'Har Ghar Tiranga' campaign was launched from 13th to 15th August 2022 to encourage the citizens to hoist the National Flag of India in their homes. The idea behind the campaign was to instill the feeling of patriotism in the hearts of people and reminisce the journey of India and those who have contributed towards creating this great nation. This campaign witnessed immense success wherein 23 Crore households hoisted the Tiranga in their homes physically and 6 Crore people uploaded Selfies on Har Ghar Tiranga website.

3. This year as well the Har Ghar Tiranga campaign will be organized encouraging the people to celebrate India's Independence Day with same zeal and patriotism from 13th to 15th August, 2023. In this regard, it may be ensured that adequate supply of flags is made available and necessary arrangements are made to ensure successful implementation of the campaign at rural and urban areas. People may be encouraged to put selfie with Tiranga on the website www.harghartiranga.com. Adequate outreach of this campaign on various social media platforms may be ensured.

4. It is requested to indicate demand for Har Ghar Tiranga Campaign this year. Further, a nodal officer for co-ordinating the Har Ghar Tiranga campaign may be nominated at Senior level. Details of Nodal officer for coordinating supply of flags from Ministry of Textiles is as under:

Shri Gaurav Kumar, Economic Advisor
Mobile No: - 9899028013
Email ID: - kumar.gaurav@gov.in

With regards,

Yours sincerely,

(Govind Mohan)

Shri Durga Shanker Mishra,
Chief Secretary,
Government of Uttar Pradesh,
Lucknow

संलग्नक--1

File No. 02/01/2020-Public (Part-III)
Government of India
Ministry of Home Affairs
(Public Section)
******

North Block, New Delhi
Dated 30th December, 2021

ORDER

Subject: Amendment in the Flag Code of India, 2002–Reg.

The use/display/hoisting of the Indian National Flag is governed by the Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 and the Flag Code of India, 2002, which are available on this Ministry's website www.mha.gov.in. With the approval of the Competent Authority, paragraph 1.2 of Part-I of the Flag Code of India, 2002 has been amended and it shall be read as under :-

"1.2 The National Flag of India shall be made of hand spun and hand woven or machine made, cotton/polyester/wool/silk khadi bunting".

(Vijay Kumar)
Deputy Secretary to the Government of India
Tele No. 2309 3101

To

The Chief Secretaries/Administrators of
All State Governments/UT Administrations,
Secretaries of all Ministries/Departments of Government of India.

Copy to:
1. President's Secretariat, Rashtrapati Bhawan, New Delhi.
2. Vice – President's Secretariat, New Delhi.
3. Prime Minister's Office, South Block, New Delhi.
4. Cabinet Secretariat, New Delhi.
5. Office of all Governors.
6. Election Commission of India, New Delhi.
7. Lok Sabha Secretariat, New Delhi.
8. Rajya Sabha Secretariat, New Delhi.
9. Registrar, Supreme Court of India, New Delhi.
10. Registrar, all High Courts.
11. Office of Comptroller and Auditor General of India, New Delhi.
12. The Union Public Service Commission, New Delhi.
13. Central Vigilance Commission, New Delhi.
14. NITI Aayog, Yojana Bhawan, New Delhi.
15. All attached & Subordinate Offices of the Ministry of Home Affairs.
16. 5 Spare Copies.

(Vijay Kumar)
Deputy Secretary to the Government of India
Tele No. 2309 3101

संलग्नक–2

झण्डा तैयार करने हेतु निर्देश

- झण्डे का आकार आयताकार होना चाहिए।
- इसकी लम्बाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि झण्डे की लम्बाई 3 फीट हो तो चौड़ाई 2 फीट होनी चाहिए।
- झण्डा बनाने की सामग्री खादी अथवा हाथ से कता हुआ कपड़ा/मशीन से बना हुआ कपड़ा/सूती/पॉलीस्टर/ऊनी/सिल्क आदि हो सकती है।
- झण्डे तीन रंगों में सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद तथा नीचे हरे रंग का प्रयोग कर बनाये जायेंगे।
- सफेद पट्टी में 24 तीलियों वाले अशोक चक्र को बाद में प्रिन्ट किया जाना चाहिए।

संलग्नक–3

झण्डा फहराने के नियम

- प्रत्येक नागरिक को अपने आवास/स्कूल तथा सरकारी कार्यालयों में झण्डा सम्मान के साथ झण्डा संहिता का अनुपालन करते हुए फहराना/लगाना है।
- झण्डा फहराते समय सदैव केसरिया रंग की पट्टी झण्डे के ऊपर की तरफ होनी चाहिए।
- झण्डे को यदि सरकारी परिसर में फहराया जाता है तो सूर्योदय के उपरान्त ध्वजारोहण किया जाना चाहिये तथा सूर्यास्त के साथ ही सम्मान के साथ इसे उतारना चाहिए।
- दिनांक 11 से 17 अगस्त, 2022 तक निजी आवासों एवं प्रतिष्ठानों पर लगाये जाने वाले झण्डों को उक्त समयावधि के उपरान्त आदर भाव के साथ उतार कर सुरक्षित रखा जायेगा।
- झण्डा उतारने के बाद किसी भी नागरिक के द्वारा इसे फेंका नहीं जायेगा। उसे सम्मान के साथ फोल्ड करके रखा जाना चाहिए।
- विशेष परिस्थितियों में झण्डा रात्रि में फहराया जा सकता है।
- हर घर पर झण्डा विधिवत तरीके से लगाया जाना चाहिए। आधा झुका, फटा या कटा झण्डा लगाया जाना निषेध होगा।

हर घर तिरंगा : 2023

	जिले का नाम	कुल आवास	अन्य प्रतिष्ठानों की संख्या	कुल आवास/भवन	जिलों झंडा फहराने की स्थिति कुल संख्या लाख में	हर घर तिरंगा: 2023 में फहराए जाने वाले झंडों का लक्ष्य (लाख में)
1	Agra	940576	4516	945092	11.0	10.4
2	Aligarh	891919	62400	954319	11.0	10.5
3	Ambedkar Nagar	422742	19258	442000	5.2	4.9
4	Amethi (Chatrapati Sahuji Mahraj Nagar)	409227	8993	418220	5.1	4.6
5	Amroha (J.P. Nagar)	480000	9024	489024	5.7	5.4
6	Auraiya	292000	7252	299252	3.9	3.3
7	Ayodhya	471099	36901	508000	5.9	5.6
8	Azamgarh	798000	11578	809578	9.4	8.9
9	Baghpat	252000	6172	258172	3.0	2.8
10	Bahraich	695047	1953	697000	8.1	7.6
11	Ballia	632000	17253	649253	7.5	7.1
12	Balrampur	453000	37000	490000	5.7	5.4
13	Banda	537407	3093	540500	6.2	5.9
14	Barabanki	530000	22236	552236	6.4	6.1
15	Bareilly	908000	32084	940084	10.9	10.3
16	Basti	440000	12387	452387	5.5	5.0
17	Bhadohi	420000	3597	423597	4.9	4.7
18	Bijnor	830000	14400	844400	9.7	9.3
19	Budaun	620000	1103	621103	9.5	6.8
20	Bulandshahr	625000	76925	701925	8.1	7.4
21	Chandauli	389000	2215	391215	4.5	4.3
22	Chitrakoot	200000	14020	214020	2.4	2.4
23	Deoria	584650	44750	629400	7.3	6.9
24	Etah	349011	2989	352000	4.0	3.9
25	Etawah	424726	15174	439900	5.1	4.8
26	Farrukhabad	310000	16261	326261	5.7	3.6
27	Fatehpur	587142	30121	617263	7.2	6.8
28	Firozabad	378824	3821	382645	5.5	4.2
29	Gautam Buddha Nagar	250000	29133	279133	4.4	3.1

30	Ghaziabad	960000	60437	908437	12.3	10.0
31	Ghazipur	870000	1671	871671	10.1	9.6
32	Gonda	540000	95488	635488	8.2	7.0
33	Gorakhpur	776000	56000	832000	9.6	9.2
34	Hamirpur	234179	11821	240000	2.9	2.7
35	Hapur (Panchsheel Nagar)	292494	184506	477000	5.5	5.2
36	Hardoi	958380	138620	1097000	12.7	12.1
37	Hathras	495902	83790	580692	6.1	6.4
38	Jalaun	540161	6939	547000	6.4	6.0
39	Jaunpur	743000	17653	760653	12.5	9.4
40	Jhansi	443072	99928	543000	6.2	6.0
41	Kannauj	307543	29457	337000	4.5	3.7
42	Kanpur Dehat	360000	36432	396432	5.3	4.4
43	Kanpur Nagar	1085000	173515	1258515	13.5	13.8
44	Kanshiram Nagar (Kasganj)	185000	2568	187568	3.4	2.1
45	Kaushambi	302000	7515	309515	3.8	3.4
46	Kushinagar (Padrauna)	667032	26385	693417	7.4	7.6
47	Lakhimpur - Kheri	694000	16986	710986	10.4	7.8
48	Lalitpur	417943	69002	486965	5.7	5.4
49	Lucknow	373600	31245	404846	11.8	4.5
50	Maharajganj	330000	205000	535000	6.2	5.9
51	Mahoba	160000	31000	191000	2.4	2.1
52	Mainpuri	310000	67000	377000	6.6	4.1
53	Mathura	564868	50079	614947	7.1	6.8
54	Mau	389000	10967	399967	4.6	7.4
55	Meerut	658800	37974	696774	7.4	7.7
56	Mirzapur	403388	10612	479000	5.4	5.2
57	Moradabad	710000	198026	908026	10.5	10.0
58	Muzaffarnagar	620000	170877	790877	8.8	8.7
59	Pilibhit	360000	6092	366092	5.4	4.0
60	Pratapgarh	443000	7698	450698	6.9	5.0
61	Prayagraj	3080000	8400	1088400	12.6	12.0
62	RaeBareli	700688	104812	805600	9.4	8.9
63	Rampur	392000	32800	424800	6.5	4.7
64	Saharanpur	681925	36075	717000	8.3	7.9
65	Sambhal (Bhim Nagar)	394482	73518	468000	5.4	5.1
66	Sant Kabir Nagar	204480	4620	309000	3.6	3.4

67	Shahjahanpur	617771	19219	636990	7.4	7.0
68	Shamali (Prabuddh Nagar)	385000	5337	390337	4.5	4.3
69	Shravasti	222297	3703	226000	2.8	2.5
70	Siddharth Nagar	455000	6667	461667	5.3	5.1
71	Sitapur	1040000	54790	1094790	13.1	12.0
72	Sonbhadra	322797	61753	384550	4.4	4.2
73	Sultanpur	687042	6425	693467	8.0	7.6
74	Unnao	590000	14390	604390	8.8	6.6
75	Varanasi	738000	70608	808608	9.4	8.9